भारत सरकार **राज्य सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 857**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 06 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

सीबीएएम सत्यापनकर्ताओं के लिए मान्यता विफलता

857 श्री हारिस बीरान:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को 1 जनवरी, 2026 को शुरू हुए ईयू के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (सीबीएएम) के 'डेफिनिटिव फेज' के बारे में जानकारी है जिसमें इस्पात और एल्युमिनियम निर्यात के लिए स्वतंत्र उत्सर्जन सत्यापन को अनिवार्य किया गया है;
(ख) उस तारीख की स्थिति के अनुसार, ईयू विनियमन 2018/2067 के तहत मान्यता प्राप्त एनएबीसीबी मान्यता प्राप्त भारतीय एजेंसियों की सटीक संख्या कितनी है;
(ग) क्या मान्यता प्राप्त घरेलू सत्यापनकर्ता (वेरिफायर) न होने के कारण निर्यातकों को ईयू की अत्यधिक उच्च 'डिफ़ॉल्ट वैल्यू' का उपयोग करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, जिससे कार्बन कर दायित्व कृत्रिम रूप से बढ़ जाते हैं; और
(घ) सत्यापन के संबंध में पारस्परिक मान्यता समझौता (एमआरए) को लागू करने में विलंब के क्या कारण हैं और मार्च 2026 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए निर्यात प्रतिस्पर्धा में अनुमानित हानि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग): यूरोपीय संघ का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (सीबीएएम) दिनांक 1 जनवरी, 2026 से शुरू हो गया है। हालांकि, वर्तमान तिथि तक कोई भी एनएबीसीबी मान्यता प्राप्त भारतीय एजेंसी ईयू विनियमन 2018/2067 के तहत मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन अन्य प्रत्यायन निकायों द्वारा दी गई मान्यता के आधार पर यूरोपीय संघ की सीबीएएम योजना के लिए भारत में कुछ सत्यापन और प्रमाणीकरण निकाय मौजूद हैं।

(घ) : भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) ने दिनांक 27 जनवरी 2026 को यूरोपीय नेताओं की भारत यात्रा के दौरान आयोजित भारत-ईयू शिखर सम्मेलन में मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए वार्ता संपन्न की। भारत ने भारत-ईयू एफटीए में कार्बन सीमा संबंधी उपायों पर एक अनुबंध (एनेक्स) सुनिश्चित किया है। इस अनुबंध का उद्देश्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों को बढ़ाने के लिए भारत और ईयू के बीच सहयोग और समर्थन को मजबूत करना है। यह एक तकनीकी संवाद भी स्थापित करता है, जिसमें भारत और यूरोपीय संघ अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पर भी चर्चा करेंगे।

i. कार्बन सीमा समायोजन उपायों के कार्यान्वयन पर तकनीकी आदान-प्रदान, जिसमें अग्र-लिखित शामिल हैं: उनका उत्पाद दायरा और अंतर्निहित उत्सर्जन कवरेज; निगरानी, रिपोर्टिंग और सत्यापन प्रक्रियाएं, और कार्बन उत्सर्जन कटौती योजना के तहत दूसरे पक्ष में प्रभावी रूप से भुगतान किए गए कार्बन मूल्य को ध्यान में रखने की संभावना, जिसकी गणना ऐसे उपाय द्वारा कवर की गई ग्रीनहाउस गैसों और वस्तुओं के उत्पादन के दौरान उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैसों पर की जाती है;

ii. कार्बन सीमा समायोजन उपायों या कार्बन सीमा समायोजन उपायों के कार्यान्वयन के लिए प्रासंगिक अन्य उपायों के तहत डिफ़ॉल्ट मूल्यों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के लिए सूचना और तकनीकी डेटा का आदान-प्रदान करना;

iii. कार्बन सीमा समायोजन उपायों के अनुपालन की जाँच के उद्देश्य से, सत्यापनकर्ताओं के प्रत्यायन हेतु प्रत्यायन निकायों की पारस्परिक मान्यता की संभावना और, यदि प्रासंगिक हो, तो उसके लिए संभावना का पता लगाना।

भारत को भी कार्बन सीमा समायोजन उपायों के कार्यान्वयन में दी गई किसी भी प्रकार की छूट के संबंध में तीसरे देशों से आने वाली समान वस्तुओं पर लागू अनुकूल व्यवहार भी प्राप्त होगा।

*****